शाम 4:00 बजे शुरू होगा।

आपकी आवाज

किसी कार्यक्रम की सूचना, अन्य जानकारी और फोटो हमें भेजें।

ईमेल

sml-cityreporter@sml.amarujala.com

9193786730

पर करें व्हाट्सएप

अपराध संक्षेप

स्मार्ट सिटी दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी

शिमला। शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (एसएससीएल) के कार्यालय को शुक्रवार को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। ईमेल में 15 अगस्त से पहले मुख्यमंत्री सहित अन्य स्थानों को निशाना बनाने की धमकी दी गई है। संदेश में आईडी विस्फोट करने और स्कूलों को नुकसान पहुंचाने की बात भी लिखी गई है सुबह ईमेल मिलने के बाद स्मार्ट सिटी के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के डीजीएम प्रवीण शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों ने उन्हें धमकी भरे ईमेल की सूचना दी। इसके बाद ईमेल पुलिस को भेजा। संवाद

कुंडलू पंचायत के पूर्व प्रधान का बेटा लापता

नालागढ़ (सोलन)। नालागढ़ की कुंडलू पंचायत के पूर्व प्रधान भगवती दास गौतम का पुत्र रजनीश गौतम (40) लापता हो गया है। दो दिन पहले किसी आवश्यक कार्य से घर से निकला था लेकिन नहीं लौटा। अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। उनकी कार नहर के पास खड़ी मिली है। पुलिस ने रजनीश की तलाश शुरू कर दी है। संवाद

नहीं दिया जा रहा है। इससे मरीजों को सीधे तौर पर परेशानी झेलनी पड़ रही है। अस्पताल में रोजाना हड्डी रोग से जुड़े कई ऑपरेशन होते हैं। ऐसे में एक मशीन से काम करना चिकित्सकों के लिए भी मुश्किल हो रहा है। शरीर में किसी हड्डी के टूटने पर प्लेट, रॉड या स्क्रू सही जगह लगे हैं या नहीं, इन सभी चीजों को चिकित्सक ऑपरेशन के दौरान ही सी-आर्म मशीन की स्क्रीन पर देख लेते हैं। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी के बेहद बारीक ऑपरेशनों में न्यूरोसर्जन नसों को नुकसान पहुंचाए बिना सटीक जगह पर काम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं लेकिन अस्पताल में एक ही मशीन होने के कारण एक समय में केवल एक ही ऑपरेशन हो पाता है। कई बार ऑपरेशन लंबा चलने से मरीजों को अगले दिन

थियेटर आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है।

तीनों ऑपरेशन थियेटरों के लिए एक ही सी-आर्म मशीन उपलब्ध है। यदि आपात स्थिति में कोई मरीज ऑपरेशन के लिए आ जाए और दूसरा ऑपरेशन पहले से चल रहा हो तो चिकित्सकों को काफी परेशानी होती है और ऑपरेशन शुरू करने में देरी हो जाती है। सरकार को जल्द एक और मशीन का बंदबोस्त करना चाहिए।

आरोपी को मिली जमानत

शिमला। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस (सीबीआई कोर्ट) डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी संदीप सिंह की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। एसटीएफ शिमला ने 22 मई को टुटीकंडी बाईपास पर गुरप्रीत सिंह से 30.35 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। इस मामले में संदीप सह आरोपी है लेकिन इसके खिलाफ पूर्व में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था। संवाद

पंजाब नैशनल बैंक
भरोसे का प्रतीक !
punjab national bank
...the name you can BANK upon !

सीओ एसएएम, रीजेंट हाउस,
दि माल रोड, शिमला-171001,
E-mail: cosmlsamd@pnb.bank.in

अचल/चल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 की वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रवर्तन के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा जन साधारण एवं विशेषतः ऋणकर्ता(ओं) व गारंटरों को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूतित ऋणदाता के पास रेहन रखी गई/प्रभारित निम्न उल्लेखित अचल संपति, जिसका निर्माणात्मक/ भौतिक/ सांकेतिक कब्जा इस बैंक/प्रत्याभूतित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, इसे संबंधित ऋणकर्ताओं व गारंटरों से बैंक/प्रत्याभूतित ऋणदाता की बकाया देय राशि की वसूली के लिए यहां निम्न उल्लेखित तालिका में उल्लेखितानुसार तिथि को ''जैसे हैं जहाँ है आधार, जैसे है जो है तथा जो कुछ वहां है के आधार पर'' बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य व धरोहर राशि जमा संबंधित संपतियों के प्रति निम्न तालिका में उल्लेखितानुसार है।

लॉट नं.	शाखा का नाम / एकाऊंट का नाम / ऋणकर्ताओं/गारंटरों/खाते का नाम एवं पता	प्रत्याभूत परिसम्पतियों की अनुसूचि: रेहन रखी गई अचल संपत्तियों का ब्यौरा/ मालिक का नाम (संपत्तियों के रेहनकार)	ए) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तिथि / बी) बकाया राशि / सी) सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा तिथि / डी) कब्जे का प्रकार सांकेतिक/भौतिक/निर्माणात्मक	ए) आरक्षित मूल्य (रु. लाख में) / B) ईएमडी / C) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/ समय / प्रत्याभूतित ऋणदाता को ज्ञात ऋणभार की जानकारी
1.	129710- न्यू शिमला पवन कुमार पवन कुमार पुत्र कोन्थो लाल तारा भवन वार्ड नंबर 3 न्यू शिमला-171009	एक फ्लैट (सैनी निवास की तरफ़) का ईक्यूएम, जिसमें दो कमरे, एक रसोई, एक टॉयलेट और एक स्टोर है। इसका एरिया 37.63 वर्ग मीटर है और यह चार मंज़िला इमारत के आधे बेसमेंट फ्लोर पर स्थित है। यह इमारत उस ज़मीन पर बनी है जो खाता खतौनी नंबर 69/217, खसरा नंबर (पुराना) 623/292मिन , और (नया) 2868 व 3869 किता 2 में आती है, जिसका कुल एरिया 192.06 वर्ग मीटर है। यह प्रॉपर्टी मोहल पटयोग, पीसी कसुम्पटी, तहसील शिमला (ग्रामीण), ज़िला शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके साथ ही, इस प्रॉपर्टी से जुड़े सभी अधिकार भी शामिल हैं, जैसे रास्ते, जुड़ी हुई ड्रेनेज (नाली), हवा, रोशनी, पानी, धूप, कॉमन रास्ते, कॉमन सीढ़ियाँ, कॉमन ड्रेनेज, फ़िटिंग, फ़िक्स्चर, कॉमन सीवरेज आदि।	a) 26.11.2025 b) Rs. 29,44,426.00 (उनतीस लाख चौवालीस हजार चार सौ छब्बीस रुपये मात्र) 13.11.2025 तक प्लस भावी ब्याज संपूर्ण भुगतान तक। c) 06.03.2026 (सांकेतिक कब्जा) D) सांकेतिक	A) Rs 37.30 Lakh B) Rs 3.73 Lakh C) Rs. 1.00 Lakh	दिनांक : 24.08.2026 समय : पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 4.00 बजे ज्ञात नहीं
2.	211710 - रामपुर .बुशहर जिला शिमला प्रताप सिंह सुपुत्र श्री चुंजी राम श्री प्रताप सिंह सुपुत्र श्री चुंजी राम गांव जकोह पीओ खनैरी तहसील रामपुर जिला शिमला हि.प्र. 172001 (ऋणकर्ता) श्री राजन मित्तल सुपुत्र श्री पूरन चंद मित्तल निवासी वीपीओ खनेरी तहसील रामपुर जिला शिमला हि.प्र. 172001 (गारंटर) श्री नरिन्दर कुमार सुपुत्र श्री सुंदर लाल निवासी नरसिंह मोहल्ला वार्ड नं. 06, पीओ एवं तहसील रामपुर जिला शिमला हि.प्र. - 172001 (गारंटर)	मोहल रचोली कानूनगो सर्कल रामपुर, तहसील रामपुर बुशहर शिमला हि.प्र. पर स्थित खाता खतौनी सं. 65 मिन/97मिन खसरा सं. 788 में सम्मिलित संपत्ति अर्थात भूमि माप 00-02-79 वर्ग मी. का एक क्षेत्र साथ में भूमि पर निर्मित संपूर्ण बिल्डिंग जिसका निर्माण/ बिल्डिंग एवं निर्मित सूपर स्ट्रक्चर का स्वामित्व अधिकार भी है एवं जो इसके अतिरिक्त इससे संबंधित सभी सुविधा अधिकारों सहित इक्ट्ठा एट्टिक (अटारी) पर निर्मित की जाएगी।	a) 24.06.2025 b) Rs. 11,05,350.11 10.06.2025 तक साथ में भावी ब्याज, एवं आकस्मिक खर्चे, लागतें c) 02.02.2026 (सांकेतिक कब्जा) d) सांकेतिक	A) Rs 60.34 Lakh B) Rs 6.04 Lakh C) Rs. 1.00 Lakh	दिनांक : 24.09.2026 समय : पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 4.00 बजे ज्ञात नहीं

शर्तें व नियमः- यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों और निम्न अतिरिक्त शर्तों के तहत होगी 1. सम्पत्तियों की बिक्री ''जैसे हैं जहाँ है आधार, जैसे है जो है तथा जो कुछ वहां है के आधार पर'' पर की जाएगी। 2. उपरोक्त निर्दिष्ट अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार वर्णित किया गया है, परन्तु प्राधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत कथन या विलोपन हेतु उत्तरदायी नहीं होगा। 3. बिक्री वेबसाईट https://baanknet.com/ पर उपलब्ध करवाए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के जरिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा लॉट 1 हेतु 24.08.2026 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 4.00 बजे तक एवं लॉट 2 हेतु 24.09.2026 @पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 4.00 बजे तक की जाऐगी। 4. बिक्री की विस्तृत नियमों एवं शर्तों हेतु कृपया https://baanknet.com पर जाएं।

दिनांक : 31.07.2026
स्थान : शिमला

(हस्ता/-) प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब नैशनल बैंक, प्रत्याभूतित ऋणदाता

Scanned with OKEN Scanner